

द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष- मोहम्मद अजहर)

क्लेम प्रकरण क्र. 10/15

संस्थित दिनांक 23.03.15

लोकेन्द्र सिंह बरेठा पुत्र सतीश बरेठा आयु 18 वर्ष
निवासी पुराना घनश्याम पुरा वार्ड नंबर 01 गोहद
जिला भिण्ड म0प्र आवेदक

बनाम

1. श्याम सिंह पुत्र छोटेलाल गोयल (जाटव) आयु 28
वर्ष निवासी ग्राम गोपालपुरा थाना सिकन्दरा जिला
औरैया उ0प्र0 हाल निवासी सरिया फैक्ट्री के पास
तिलक नगर थाना शहर कोतवाली जिला औरैया
उ0प्र0

वाहन चालक ट्रक क्र-यू.पी.-75-एम-5952

2. कोशलेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र तेजसिंह भदौरिया
आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम नगला (गौर) पोस्ट कामेट
थाना बडपुरा जिला इटावा उ0प्र0

वाहन स्वामी ट्रक क्र-यू.पी.-75-एम-5952

3. एच.डी.एफ.सी. एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी
लिमिटेड द्वारा डिवीजनल मैनेजर, डी.एम. टावर
प्लासिया रोड इन्दौर म0प्र0 बीमा कंपनी
..... अनावेदकगण

क्लेम प्रकरण क्र. 11/15

संस्थित दिनांक 23.03.2015

1. श्रीमती रामसनेही पत्नी रमेश बाबू आयु 50 वर्ष,
2. रमेश बाबू पुत्र जनवेद सिंह आयु 52 वर्ष
3. हेमन्त पुत्र रमेश बाबू आयु 28 वर्ष, निवासीगण
ग्राम पुराना घनश्यामपुरा वार्ड क्रमांक 011 गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

..... आवेदकगण

बनाम

1. श्याम सिंह पुत्र छोटेलाल गोयल (जाटव) आयु 28
वर्ष निवासी ग्राम गोपालपुरा थाना सिकन्दरा जिला
औरैया उ0प्र0 हाल निवासी सरिया फैक्ट्री के पास
तिलक नगर थाना शहर कोतवाली जिला औरैया
उ0प्र0

वाहन चालक ट्रक क्र-यू.पी.-75-एम-5952

2. कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र तेजसिंह भदौरिया
आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम नगला (गौर) पोस्ट कामेट
थाना बडपुरा जिला इटावा उ0प्र0

वाहन स्वामी ट्रक क्र-यू.पी.-75-एम-5952

3. एच.डी.एफ.सी. एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी
लिमिटेड द्वारा डिवीजनल मैनेजर, डी.एम. टावर
प्लासिया रोड इन्दौर म0प्र0बीमा कंपनी
.....अनावेदकगण

आवेदकगण द्वारा श्री एस.एस. श्रीवास्तव अधिवक्ता
अनावेदक क्रमांक-1 व व 2 अनुपस्थित, पूर्व से एकपक्षीय।
अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता।

// अधि-निर्णय //

(आज दिनांक 24.03.2018 को पारित)

1. आवेदक लोकेन्द्र सिंह बरैठा की ओर से क्लेम याचिका क्रमांक 10/15 एवं आवेदकगण श्रीमती रामस्नेही आदि की ओर से क्लेम याचिका क्रमांक 11/15 दिनांक 11.03.14 को बूटी कुईया के पास भिण्ड ग्वालियर रोड गोहद जिला भिण्ड में मोटर वाहन दुर्घटना में लोकेन्द्र सिंह बरैठा को आई चोटों के कारण उत्पन्न स्थाई निशक्ता के संबंध में तथा आवेदकगण श्रीमती रामस्नेही एवं रमेश बाबू के पुत्र राहुल को आई चोटों के परिणाम स्वरूप हुई उसकी मृत्यु के फलस्वरूप अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा प्रथक प्रथक रूप से क्रमशः 6,80,000/-रुपये एवं 19,50,000/-रुपये की क्षतिपूर्ति की राशि ब्याज सहित दिलवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गई हैं।
2. उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों क्लेम याचिकाएँ एक ही दिनांक को हुई एक ही दुर्घटना द्वारा उत्पन्न होने से दोनों क्लेम याचिकाओं को आदेश दिनांक 16.08.17 के द्वारा समायोजित किया गया। मूल कार्यवाही क्लेम याचिका क्रमांक 10/15 में की गई है। इस कारण दोनों क्लेम याचिकाओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
3. प्रकरण में कोई भी तथ्य स्वीकृत नहीं है।
4. दोनों क्लेम याचिकाएं संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 11.03.2014 को राहुल अपनी मोटरसाइकिल से गोहद से मालनपुर अपने छोटे भाई आवेदक लोकेन्द्र को परीक्षा दिलाने जा रहा था, बूटी कुईया के पास भिण्ड ग्वालियर रोड पर सामने की ओर से अर्थात्

ग्वालियर की ओर से ट्रक क्रमांक यू.पी.-75 एम-5952 के चालक अनावेदक क्रमांक 01 ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में जोर से टक्कर मार दी जिससे लोकेन्द्र को शरीर में चोटें आयी एवं फ्रैक्चर हो गया तथा राहुल को गंभीर चोटें आकर उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। उक्त घटना की रिपोर्ट गोहद चौराहा थाना पर की गयी जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 01 उक्त वाहन का चालक था तथा अना0क्रं0 02 पंजीकृत स्वामी था। उक्त वाहन समस्त दायित्वों के लिये अना0क्रं0 03 की बीमा कम्पनी में बीमित थी।

5. क्लेम याचिका क्रं0 10/15 में आवेदक लोकेन्द्र की क्लेम याचिका इस प्रकार है कि लोकेन्द्र को सर्वप्रथम जयारोग्य अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसका इलाज हुआ तथा उसको फ्रैक्चर आना पाया गया उसके ऑपरेशन हुये, स्कू तथा रॉड डाले गये। वह भर्ती रहा। इलाज में काफी राशि खर्च हुयी। भविष्य में स्कू व प्लेट तथा रॉड ऑपरेशन होकर निकलना है, उक्त दुर्घटना से आयी चोटों के कारण वह अपना दैनिक कार्य करने में असमर्थ हो गया है तथा उसे स्थायी निःशक्तता आ गयी है। क्षतिपूर्ति की राशि ब्याज सहित दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी है।
6. क्लेम याचिका क्रं0 11/15 में आवेदक गण रामस्नेही आदि की क्लेम याचिका इस प्रकार है कि उनका पुत्र राहुल 23 वर्षीय स्वस्थ नवयुवक होकर बीकॉम पास होकर कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व पी0जी0डी0सी0ए0 का कोर्स किया हुआ होनहार नवयुवक था जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करके 6000/- रुपये प्रतिमाह प्राप्त करता था जिससे उसका एवं आवेदक का भरणपोषण होता था। यदि राहुल की आकस्मिक मृत्यु नहीं होती तो वह लगभग तीस हजार रुपये मासिक आय अर्जित करता। आवेदक क्रं0 01 व 02 अपने पुत्र के लाड-प्यार व स्नेह तथा संरक्षण से वंचित हो गये हैं। उनके बुढ़ापे का सहारा छिन गया है उक्त आधारों पर क्षतिपूर्ति की राशि ब्याज सहित दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी है।
7. प्रकरण में अना0क्रं0 01 व 02 की विधिवत तामील होकर वह प्रकरण की कार्यवाहियों में अनु0 रहे, उनके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवायी का आदेश किया गया और उनकी और से दोनों क्लेम याचिकाओं में कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. अनावेदक क्रमांक-03 बीमा कम्पनी की ओर से दोनों क्लेम याचिकाओं का प्रथक

प्रथम रूप से लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुये आवेदकगण के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्यख्यान किया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि यदि उक्त दिनांक को प्रश्नगत ट्रक से उक्त दुर्घटना कारित होना, दुर्घटना में लोकेन्द्र को चोटें आना तथा राहुल की मृत्यु होना सिद्ध होता है तब यह आपत्ति की गयी है कि अना0क्रं0 01 के द्वारा अना0क्रं0 02 की सहमति से एवं नियोजन में बिना वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लायसेंस एवं परमिट तथा फिटनेस के उक्त ट्रक को चलाया जा रहा था। उक्त दुर्घटना मृतक राहुल की त्रुटि व लापरवाही से हुयी है। दुर्घटना में कन्ट्रीब्यूटरी/कम्पोजिट नेग्लिजेंस है। मोटरसाइकिल के पक्षकारों का संयोजित नहीं किया गया है। दुर्घटना दिनांक को मोटरसाइकिल चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लायसेंस नहीं था। उक्त आधारों पर दोनों क्लेम याचिकायें निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

9. उभयपक्ष के अभिवचनों एवं अभिलेख के आधार पर दोनों क्लेम याचिकाओं में मेरे द्वारा निम्नलिखित समेकित वाद प्रश्न निर्मित किये गये जिनके निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके समक्ष लिखे जा रहे हैं :-

क्लेम याचिका क्रमांक 07 / 16 एवं क्लेम याचिका क्रमांक 08 / 16

समेकित वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या दिनांक 11.03.14 को अनावेदक क्रमांक 01 ने अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व के वाहन को अनावेदक क्रमांक 02 के नियोजन में रहते हुए वाहन ट्रक क्रं-यू.पी.-75-एम-5952 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आवेदक आहत राहुल बरेठा की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उक्त दुर्घटना कारित हुई ?	प्रमाणित।
2. क्या उक्त दुर्घटना में आवेदक राहुल बरेठा या लोकेन्द्र की योगदायी उपेक्षा थी ?	अप्रमाणित।
3. क्या उक्त दुर्घटना में राहुल बरेठा को गंभीर चोटें आकर उसकी मृत्यु कारित हुई ?	स्थायी निश्कतता आना प्रमाणित नहीं, परंतु गंभीर चोट आना प्रमाणित।
4. क्या उक्त दुर्घटना में आवेदक लोकेन्द्र सिंह बरेठा को गंभीर चोटें आकर उसे स्थायी निःशक्तता कारित हुई ?	अप्रमाणित
5. क्या इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है ?	अप्रमाणित

6. क्या अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी की शर्तों का उल्लंघन किया गया ?	अप्रमाणित।
7. क्या आवेदकगण अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ? यदि हां तो किस दर से ?	क्लेम याचिका क्रमांक 10/15 में आवेदक लोकेन्द्र सिंह बरेठा क्षतिपूर्ति की राशि 1,90,635/- रूपए ब्याज सहित तथा क्लेम याचिका क्रमांक 11/15 में आवेदकगण राहुल की मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति की राशि 5,55,000/-रूपए ब्याज सहित अनावेदकगण से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
8. सहायता एवं व्यय ?	दोनों क्लेम याचिकाएं आंशिक रूप से स्वीकार की गईं।

—:सकारण निष्कर्ष:—

वाद प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 :-

10. उक्त तीनों वादप्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है, ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो।
11. आवेदक लोकेन्द्र सिंह बरेठा अ0सा0 02 ने यह बताया है कि दि0 11.03. 2014 को सुबह साढ़े 7 बजे राहुल रजक की मोटरसाईकिल क्रं0 एम0पी0 30 एम0एफ0 3885 से पीछे बैठकर गोहद से परीक्षा देने हेतु मालनपुर जा रहे थे, राहुल अपनी मोटरसाईकिल से अपने हाथ पर धीरे-धीरे सावधानीपूर्वक चलाते हुये ले जा रहा था। बूटी कुईया के पास ग्वालियर की ओर से ट्रक क्रं0 यू0पी0 75 एम0 5952 का चालक ट्रक को बेहद तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और सामने की ओर से रॉग साईड में आकर राहुल की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे राहुल की घटनास्थल पर ही असामयिक मृत्यु हो गयी तथा लोकेन्द्र के दाहिने पैर के घुटने, दाहिने पैर की जांघ में फ्रेक्चर हो गया तथा दोनों हाथों व दोनों पैरों में, मुंह में, जबड़े में फ्रेक्चर हो गया तथा सिर में गंभीर चोटें आयी और उसे इलाज हेतु सरकारी अस्पताल गोहद ले जाया गया, जहां से उसे जे0ए0एच0 अस्पताल ग्वालियर के लिये रैफर कर दिया। दुर्घटना की रिपोर्ट हेमन्त कुमार द्वारा लिखायी गयी थी। उसकी उक्त साक्ष्य की पुष्टि आवेदिका रामसनेही अ0सा0 01 ने की है।

12. यद्यपि रामसनेही अना0क्र0 01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-6 में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते नहीं देखी परन्तु वहीं लोकेन्द्र ने स्वयं को आहत एवं चक्षुदर्शी साक्षी बताते हुये उपरोक्त घटना बतायी है। आवेदिका की ओर से संबंधित आपराधिक प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्र0पी0-01 लगायत प्र0पी0-09 प्रस्तुत की गयी है। प्र0पी0 01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि घटना दि0 11.03.2014 की सुबह साढ़े सात बजे की है और सुबह 8 बजे ही घटना की रिपोर्ट कर दी गयी है। जब कि थाने से दूरी 6 कि0मी0 है इस प्रकार त्वरित प्रथम सूचना रिपोर्ट है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन दस चक्का ट्रक क्रमांक यू0पी0 75-एम-5952 का उल्लेख है।
13. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें यह तथ्य है कि फरियादी हेमन्त कुमार रजक और राजाराम एक मोटरसाईकिल से तथा दूसरी मोटरसाईकिल क्रं0 एम0पी0 30-एम0एफ0-3885 हीरोहोण्डा से छोटा भाई राहुल रजक व भांजा लोकेन्द्र बैठकर गोहद से लोकेन्द्र की परीक्षा दिलाने जा रहे थे। सुबह साढ़े सात बजे बूटी कुईया के पास ग्वालियर की ओर से दस चक्का ट्रक क्रं0 यूपी 75-एम-5952 को उसके ट्रक चालक ने बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर राहुल की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे राहुल की मौके पर ही मौत हो गयी तथा लोकेन्द्र घायल हो गया और उसे अस्पताल गोहद भिजवाया गया।
14. इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 से उपरोक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य की भलीभांति पुष्टि हो रही है। जिससे कि यह प्रकट होता है कि उक्त ट्रक के चालक ने उपेक्षा व उतावलेपन से ट्रक को चलाकर राहुल की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की है। अना0क्रं0 01 श्याम सिंह से उक्त वाहन एवं उसके दस्तावेज जप्ती पंचनामा प्र0पी0-02 के अनुसार जप्त किये गये हैं। प्र0पी0-05 की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त ट्रक में ड्राइवर साईड की लाईट टूटी हुयी है जिससे कि स्पष्ट होता है कि मोटरसाईकिल सामने आ रही थी और ट्रक के सीधे हाथ पर ट्रक चालक ने मोटरसाईकिल की ओर आकर मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी है, जिसकी पुष्टि नक्शामौका प्र0पी0-03 से भी होती है।
15. प्रमाणिकर प्र0पी0-06 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उक्त प्रमाणिकरण उक्त ट्रक के पंजीकृत स्वामी अना0क्रं0 02 कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया के द्वारा

दिया गया है। जिसमें यह तथ्य है कि दुर्घटना दि० 11.03.2014 को उक्त ट्रक को दुर्घटना के समय अना०कं० 01 श्याम सिंह चला रहा था और उसने ही मोटरसाईकिल में टक्कर मारी थी। पुलिस के द्वारा भी अनुसंधान में अना०कं० 01 को प्रथम दृष्टि में दोषी पाते हुये उसके विरुद्ध प्र०पी०-09 का अभियोगपत्र प्रस्तुत किया है। जिससे की इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अना०कं० 01 श्याम सिंह के द्वारा उक्त ट्रक को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की। दोनों साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में उनकी साक्ष्य का खण्डन नहीं हो पाया है।

16. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट और प्रमाणित होता है कि दि० 11.03.2014 को अना०कं० 01 ने अना०कं० 02 के वाहन ट्रक कं० यूपी० 75 एम-5952 को अना०कं० 02 के नियोजन में रहते हुये उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की जिसमें मोटरसाईकिल चालक राहुल की कोई योगदायी उपेक्षा होना प्रकट नहीं होती है। प्र०पी०-08 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उक्त दुर्घटना में राहुल के सिर पर आयी चोट के कारण उसकी मृत्यु होना भी प्रमाणित होती है।

वाद प्रश्न कमांक 4 :-

17. लाकेन्द्र सिंह बरैठा आ०सा०-02 ने मुख्य परीक्षण में पैरा-03 में यह बताया है कि उसके दाहिने पैर की जांघ में व घुटने में तथा दोनों हाथों में फ्रेक्चर होने से तथा गंभीर चोटें होने से उसे स्थाई विकलांगता आ गई है। उसकी कार्य क्षमता में कमी आई है, जो जीवन पर्यन्त रहेगी। परंतु स्थायी निशक्तता के संबंध में आवेदक लोकेन्द्र की ओर से कोई स्थायी निःशक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही किसी चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि आवेदक लोकेन्द्र को उक्त दुर्घटना के कारण आयी चोटों से स्थायी निःशक्तता कारित हुयी। जहां तक कि आवेदक लोकेन्द्र को आयी चोटों का प्रश्न है, उसने प्र०पी०-10 लगायत प्र०पी०-74 के चिकित्सीय इलाज से संबंधित पर्व प्रस्तुत किए हैं।
18. प्र०पी०-10 की एम.एल.सी के अनुसार दिनांक 11.03.14 को सुबह 08:15 बजे लोकेन्द्र का मेडीकल परीक्षण किया गया है, जिसमें उसके दाहिने पैर के घुटने पर एवं दाहिनी अग्रभुजा पर कन्टूजन तथा दाहिने एंकल, पीठ पर दाई व बाई ओर एवरेजन एवं होंठ पर फटा हुआ घाव पाया गया है। सीधे घुटने एवं दाई अग्रभुजा के एक्सरे के लिए

सलाह दी गई है। प्र0पी0-11 की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक लोकेन्द्र के दाहिने पैर में जांघ पर फीमर हड्डी का फ्रैक्चर एवं पटेला पर फ्रैक्चर होना पाया गया है। दाई अग्रभुजा में रेडियस एवं अलना हड्डी में फ्रैक्चर होना पाया गया है। बाई कलाई में रेडियस एवं अलना हड्डी में फ्रैक्चर होना पाया गया है। इस प्रकार दोनों हाथों में एवं दाहिने पैर में कुल मिलाकर छः फ्रैक्चर आवेदक लोकेन्द्र को आए हैं, जिसमें फीमर हड्डी का फ्रैक्चर एवं पटेला हड्डी का फ्रैक्चर बहुत गंभीर प्रकृति की चोट है। इस प्रकार आवेदक लोकेन्द्र को मल्टीपल फ्रैक्चर होकर गंभीर चोटें आना प्रमाणित होता है।

वादप्रश्न क्रमांक 05:-

19. अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से क्लेम याचिका के लिखित उत्तर में यह आधार अवश्य लिया है कि इस न्यायालय में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है अर्थात् राहुल वाली मोटरसाइकिल के पक्षकारों को इस प्रकरण में संयोजित नहीं किया गया है। इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। न्याय दृ० सुशीला भदौरिया बनाम मध्यप्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 2005 ए सी जे 831 अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि दोनों वाहनों से संबंधित मालिक एवं बीमा कम्पनी को पक्षकार बनाये जावे। दावेदार इनमें से सभी के विरुद्ध अथवा किसी एक के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिये याचिका प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत मामले में राहुल वाली मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.एफ.-3885 के स्वामी एवं बीमा कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उपरोक्त न्याय दृ० के अनुसार आवेदक दोनों वाहनों में से किसी भी वाहन अथवा दोनों वाहनों के विरुद्ध क्लेम याचिका प्रस्तुत कर सकता है। वैसे भी उपरोक्त विवेचना के अनुसार मोटरसाइकिल चालक राहुल की कोई त्रुटि होना प्रमाणित नहीं हुई है। इस कारण मोटरसाइकिल के पक्षकारों को संयोजित किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है।

वाद प्रश्न क्रमांक 6 :-

20. यह वाद प्रश्न बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में है। बीमा

कंपनी अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अंतिम तर्क के समय भी बीमा पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन न होना और कोई ब्रीच न होना व्यक्त किया गया है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन हुआ।

वाद प्रश्न क्रमांक 7:-

21. क्लेम याचिका क्रमांक 10/15 में आवेदक लोकेन्द्र सिंह बरैठा की ओर से चिकित्सीय दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। प्र0पी0-11 की एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को उपरोक्तानुसार छः मल्टीपल फ्रैक्चर दुर्घटना में आए हैं। सर्वोदय अस्पताल की डिस्चार्ज टिकट प्र0पी0-12 के अनुसार आवेदक दिनांक 12.03.14 से दिनांक 15.03.14 तक अस्पताल में भर्ती रहा है और उसने अपना इलाज कराया है। प्र0पी0-13 के प्राईम अस्पताल के डिस्चार्ज टिकट के अनुसार आवेदक दिनांक 12.06.15 से 15.06.15 तक भर्ती रहा है। यद्यपि सर्वोदय अस्पताल के एक अन्य डिस्चार्ज टिकट को प्रदर्शित नहीं करया है। परंतु उसके अनुसार दिनांक 09.04.14 से 12.04.17 तक आवेदक लोकेन्द्र सर्वोदय अस्पताल में भर्ती रहा है और उसने अपना इलाज कराया है। इस प्रकार आवेदक 11 दिवस अस्पताल में भर्ती रहा है। इस दौरान उसका इलाज चला है और अन्य चिकित्सकों को भी उसने दिखाया है, जैसा कि प्र0पी0-14 लगायत प्र0पी0-32 के दस्तावेजों से स्पष्ट है। प्र0पी0-13 के अनुसार एवं अन्य डिस्चार्ज टिकट के अनुसार आवेदक के ऑपरेशन हुए और प्लेटिंग आदि की गई है। प्र0पी0-29 लगायत प्र0पी0-32 के दस्तावेजों के भी स्पष्ट है कि आवेदक का ऑपरेशन हुआ है। आवेदक की उपरोक्त गंभीर चोटों, फ्रैक्चर एवं ऑपरेशन आदि की स्थिति को देखते हुए तथा फीमर एवं पटेला हड्डी का फ्रैक्चर देखते हुए आवेदक लोकेन्द्र को मानसिक पीड़ा एवं शारीरिक वेदना के मद में 50,000/-रुपए की राशि दिलाई जाती है।

22. आवेदक लोकेन्द्र 11 दिवस भर्ती रहा है, वह गोहद का रहने वाला है और ग्वालियर में इलाज कराया है। विभिन्न दिनांको पर उसे अनेको बार ग्वालियर इलाज हेतु ले जाया गया है। अतः परिवहन एवं आवागमन के मद में 5,000/-रुपए की राशि दिलाई जाती है। वह भर्ती रहा है तो निश्चित तौर पर उसके द्वारा विशेष आहार लिया गया होगा। उपरोक्त प्रकार के फ्रैक्चर को देखते हुए घर पर लौटने के पश्चात भी उसे

विशेष आहार की आवश्यकता रही होगी। अतः विशेष आहार के मद में उसे 4,000/-रुपए की राशि दिलाई जाती है।

23. उसका अंतिम केशमेमो प्र0पी0-71 दिनांक 25.06.15 का है, जो प्राईम अस्पताल के प्रिस्क्रिप्शन प्र0पी0-20 के आधार पर है। उसके पश्चात का कोई मेडीकल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। आवेदक लोकेन्द्र को उपरोक्त प्रकार से छः मल्टीपल फ्रेक्चर हैं। जिससे कि प्रकट है कि आवेदक का इलाज लगातार चला है। उसकी पटेला एवं फीमर हड्डी में फ्रेक्चर आया है, दोनों हाथों में दो-दो फ्रेक्चर हैं। प्र0पी0-13 के डिस्चार्ज टिकट के अनुसार दिनांक 12.06.15 से दिनांक 15.06.15 के मध्य उसका ऑपरेशन होकर उसकी प्लेट्स आदि का रिमूवल हुआ है। निश्चित है कि वह लगभग एक वर्ष तक अपना सामान्य कार्य करने से विरत रहा है। अतः उसे निश्चित तौर पर किसी न किसी ने अटेण्ड किया होगा। अतः अटेण्डर के मद में आवेदक को 15,000/-रुपए दिलाए जाते हैं।

24. लोकेन्द्र आ0सा0-02 ने स्वयं को 21 वर्ष का होकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का कार्य कर 15,000/-रुपए मासिक आय होना बताया है। यद्यपि इस बिन्दु पर बीमा कंपनी की ओर से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। परंतु लोकेन्द्र की ओर से अपनी आयु के संबंध में कोई दस्तावेज ऐसे प्रस्तुत नहीं किए हैं कि जिससे यह प्रकट हो कि दुर्घटना के समय उसकी आयु 21 वर्ष की होकर वह ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करता था। अपितु प्र0पी0-12 के डिस्चार्ज टिकट में आयु 16 वर्ष लिखी हुई है। प्र0पी0-15 के प्रिस्क्रिप्शन, प्र0पी0-16 लगायत प्र0पी0-19 की एक्सरे रिपोर्ट आदि में लोकेन्द्र की आयु दुर्घटना के समय 17 वर्ष लिखी हुई है।

25. अभियोगपत्र के अनुसार ही लोकेन्द्र की आयु 17 वर्ष होना बताई गई है। एम.एल.सी. प्र0पी0-10 एवं 11 में उसकी आयु 17 वर्ष लिखी हुई है। अतः यह मान्य नहीं जा सकता कि दुर्घटना के समय आवेदक की आयु 17 वर्ष की थी। ट्यूशन पढ़ाने के संबंध में उसने यह नहीं बताया है कि वह किस क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन कहां पढ़ाता था, किस को किस को ट्यूशन पढ़ाता था और प्रत्येक छात्र के कितनी फीस लेता था। अतः इन परिस्थितियों में यह प्रमाणित नहीं होता है कि आवेदक लोकेन्द्र की आयु 21 वर्ष की होकर वह ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करके 15,000/-रुपए मासिक की आय अर्जित करता था।

26. क्षतिपूर्ति के निर्धारण के उद्देश्य से वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी

की दर अकुशल श्रमिक के हिसाब से लगाएं तथा यह भी मान्य करे कि कम से कम 20-25 दिवस कार्य करता है। तब भी कम से कम 5,000/-रु. आय प्रतिमाह की दर से होती है। न्यूनतम मजदूरी की दर तथा मंहगाई, आवश्यकता तथा अन्य सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक लोकेन्द्र की मासिक आय 5,000/-रु. मान्य की जाती है। जिसके हिसाब से एक वर्ष की आय 60,000/-रु. होती है। जो आवेदक को दिलाई जाती है।

27. आवेदक को इलाज का व्यय भी दिलाया जाना न्यायोचित है। इलाज के व्यय के रूप में प्र0पी0-31 का केशमेमो प्लेट, स्कू आदि के संबंध में है, जो 3,550/-रुपए का है। प्र0पी0-32 का अंतिम बिल प्राईम अस्पताल का ऑपरेशन से संबंधित है, जो 29,000/-रुपए का है। प्र0पी0-33 की रसीद जय आरोग्य अस्पताल की है, जो 100/-रुपए की है। प्र0पी0-35 एवं 36 में आवेदक का कोई नाम नहीं है। इस कारण उक्त राशि नहीं दिलाई जा सकती। प्र0पी0-37 का केशमेमो 9,00/-रुपए का, प्र0पी0-38 की रसीद 1,200/-रुपए की, प्र0पी0-39 की 8,00/-रुपए की है।

28. प्र0पी0-40 का केशमेमो 1893/-रुपए का, प्र0पी0-41 का 2,388/-रुपए का, प्र0पी0-42 का 1,165/-रुपए का, प्र0पी0-43 का 773/-रुपए का, प्र0पी0-44 की रसीद 300/-रुपए की, प्र0पी0-45 की रसीद 600/-रुपए की है। प्र0पी0-46 का केशमेमो 340/-रुपए, प्र0पी0-47 की रसीद 1,050/-रुपए की है। प्र0पी0-48 का केशमेमो 24/-रुपए का, प्र0पी0-49 का 126/-रुपए का, प्र0पी0-50 का 1,360/-रुपए का, प्र0पी0-51 का 1,801/-रुपए का, प्र0पी0-53 का 364/-रुपए का, प्र0पी0-54 का 890/-रुपए का, प्र0पी0-55 का 296/-रुपए का, प्र0पी0-57 का 325/-रुपए का, प्र0पी0-58 का 1,467/-रुपए का, प्र0पी0-59 का 270/-रुपए का, प्र0पी0-60 का 14/-रुपए का, प्र0पी0-61 का 239/-रुपए का, प्र0पी0-62 का 59/-रुपए का, प्र0पी0-63 का 77/-रुपए का, प्र0पी0-64 का 147/-रुपए का, प्र0पी0-65 का 31/-रुपए का, प्र0पी0-66 का 1,297/-रुपए का, प्र0पी0-67 का 1,259/-रुपए का, प्र0पी0-68 का 27/-रुपए का, प्र0पी0-69 का 25/-रुपए का, प्र0पी0-70 का 150/-रुपए का, प्र0पी0-71 का 1,278/-रुपए का है।

29. प्राईम अस्पताल की एक्सरे की प्र0पी0-72 की रसीद 550/-रुपए की है। प्र0पी0-74 की रसीद 500/-रुपए की है। परंतु प्र0पी0-73 की रसीद दिनांक 12.06.

15 अर्थात ऑपरेशन की समय की होकर एडवांस राशि की है, अतः उसे सामायोजित करते हुए उसकी गणना नहीं की गई। इस प्रकार आवेदक लोकेन्द्र को इलाज के व्यय के रूप में कुल राशि 56635/-रुपए दिलाई जाती है। दिनांक 25.06.15 के पश्चात का कोई पर्चा अतः भविष्य के इलाज के संबंध में राशि नहीं दिलाई गई।

30. इस प्रकार क्लेम याचिका क्रमांक 10/15 में आवेदक लोकेन्द्र अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा प्रथक प्रथक निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है:-

क्रमांक	मद	राशि
1.	आय की हानि	60,000/-रु.
2.	मानसिक वेदना एवं शारीरिक पीड़ा के मद में	50,000/-रु.
3.	आवागमन के मद में	05,000/-रु.
4.	अटेण्डर के मद में	15,000/-रु.
5.	विशेष आहार के मद में	04,000/-रु.
6.	इलाज का व्यय	56635/-रु.
कुल क्षतिपूर्ति राशि		1,90,635/-रु.

31. यह वादप्रश्न राहुल की मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति की राशि के निर्धारण के संबंध में भी है। इस संबंध में सर्वप्रथम आश्रितता की राशि की गणना किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में सर्वप्रथम आयु एवं आय पर विचार करे तो आवेदिका श्रीमती रामसनेही आ0सा0-01 ने दुर्घटना के समय राहुल की आयु दुर्घटना के समय 23 वर्ष होना बताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र0पी0-08 में राहुल की आयु 24 वर्ष लिखी हुई है अतः क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए राहुल की आयु दुर्घटना के समय 24 वर्ष होना मान्य की जाती है। श्रीमती रामसनेही आ0सा0-01 ने यह भी बताया है कि उसकी मृत्यु हो जाने से उनके जीवन के बुढ़ापे का सहारा छिन गया है और परिवार को भविष्य में होने वाली आय से वंचित होना पड़ा है। पैरा-03 में यह बताया है कि राहुल स्वस्थ युवक होकर बी कॉम पास कर कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एवं जी डी सी ए को कोर्स किए हुए था तथा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करता था तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य भी करता था, जिससे उसे 15,000/-रुपए मासिक

आए होती थी, जिससे घर खर्च में सहयोग होता था।

32. श्रीमती रामसनेही आ0सा0-01 की ओर से शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में प्र0पी0-75 लगायत 78 की अंकसूचियां एवं व्यवसाय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिनकी फोटोप्रतियां प्र0पी0-75सी लगायत 78सी है। प्र0पी0-75सी लगायत 78सी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि मृतक राहुल ने वर्ष 2012 में बी. कॉम की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उसके द्वारा पी.जी.डी.सी.ए. का डिप्लोमा 2013 में किया गया है। उसके द्वारा एन.ई.सी. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर से राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसके द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट हेतु वर्ष 2010 में परीक्षा पास की गई थी।

33. श्रीमती रामसनेही आ0सा0-01 के द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य तथा द्यूशन पढ़ाने का कार्य करना बताया है, परंतु राहुल के संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। यह भी नहीं बताया है कि वह घर पर द्यूशन पढ़ाता था या बाहर पढ़ाने जाता था। द्यूशन से उसको कितनी आय होती थी और कम्प्यूटर ऑपरेटर के कार्य से कितनी आय होती थी, यह भी नहीं बताया है। अतः ऐसी स्थिति में राहुल की आय 15,000/-रुपए प्रतिमाह होना प्रमाणित नहीं होती है।

34. क्षतिपूर्ति के निर्धारण के उद्देश्य से वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर अकुशल श्रमिक के हिसाब से लगाएं तथा यह भी मान्य करे कि कम से कम 20-25 दिवस कार्य करता है। तब भी कम से कम 5,000/-रु. आय प्रतिमाह की दर से होती है। न्यूनतम मजदूरी की दर तथा महगाई, आवश्यकता तथा अन्य सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मृतक की मासिक आय 5,000/-रु. मान्य की जाती है। जिसके हिसाब से वार्षिक आय 60,000/-रु. होती है।

35. आवेदकगण की ओर से ऐसा नहीं बताया गया है कि राहुल विवाहित था। न्यायदृष्टांत अमृत भानूशाली एवं अन्य बनाम नेशनल इन्श्योरेन्स क0लि0 एवं अन्य 2012 एसीजे 2002 में अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 50 प्रतिशत कटौती किया जाना मान्य किया गया है। न्यायदृष्टांत सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य एआईआर 2009 एससी 3104 में भी

माननीय उच्चतम न्यायालय ने केवल मां को ही आश्रित मानते हुए 50 प्रतिशत कटौती किये जाने का निर्देश दिया है। नेशनल इश्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य वाले मामले में आश्रित यदि माता पिता हैं तब व्यक्तिगत खर्च के रूप में कुल आय का 1/2 भाग को कटौती किया जाएगा। इस मामले में जो साक्ष्य आयी है उसमें मृतक राहुल अविवाहित था।

36. राहुल के माता पिता अर्थात आवेदकगण के द्वारा यह क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें मां अर्थात आवेदिका क्रमांक 01 श्रीमती रामसनेही की आयु 50 वर्ष एवं आवेदक क्रमांक 02 रमेश बाबू अर्थात राहुल के पिता की आयु 52 वर्ष होना बताई गई है। यद्यपि इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं है। जितनी आयु उनके आवेदन पर लिखी हुई है उतनी आयु मान ली जाए तब यह मान्य नहीं किया जा सकता कि रमेश बाबू कोई कार्य नहीं करता हो। श्रीमती रामसनेही आ0सा0-01 ने ऐसा नहीं बताया है कि रमेश बाबू कोई कार्य नहीं करते हैं और कोई आय अर्जित नहीं करते हैं।

37. यह निश्चित है कि श्रीमती रामसनेही अपने पुत्र राहुल पर भविष्य में आश्रित रहती। इस संबंध में न्यायदृष्टांत सरलावर्मा वाले प्रकरण में भी मां को ही आश्रित माने जाने का निर्देश दिया गया है। ऐसी स्थिति में भी अविवाहित होने की स्थिति में यह मान्य किया जायेगा कि यदि राहुल जीवित होता तो अपनी आय का 50 प्रतिशत स्वयं के उपर खर्च करता। अतः ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने पर आय का 50 प्रतिशत कटौती किया जाना न्यायोचित है, जिसका कटौती किये जाने पर मृतक राहुल की नेशनल वार्षिक आय 30,000/-रु. रह जाती है जो कि आश्रितता की हानि है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत शान्तिदेवी बनाम न्यू इन्डिया इन्श्योरेंस क0लि0 एवं अन्य 2011(1)टीएसी 4(एससी) अवलोकनीय है।

38. आश्रितता की हानि की गणना किए जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशगण की पीठ के द्वारा निर्णीत न्यायदृष्टांत नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य 2017 (4) टी.ए.सी. 673 (एस.सी.) अवलोकनीय है। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मल्टीप्लायर लगाने हेतु मृतक की आयु को आधार बनाया जाना चाहिए। राहुल की आयु 24 वर्ष की थी। प्रणय सेठी एवं सरला वाले न्याय दृ. के मापदण्ड के अनुसार 24 वर्ष की आयु 18 से 25 वर्ष का आयु समूह है जिसके लिए 18 का गुणक प्रयुक्त होगा।

39. 30,000/-रुपए वार्षिक के हिसाब से 18 का गुणक लगाने पर 5,40,000/-रुपए की राशि होती है, जो कि आश्रितता की हानि है। जो आवेदकगण को दिलाई जाती है।
40. न्यायदृष्टात नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य 2017 (4) टी.ए.सी. 673 (एस.सी.) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम संस्कार के व्यय में 15,000/-रु. की राशि दिलाये जाने का मार्गदर्शन दिया गया है। अतः उक्त राशि 15,000/-रु. प्रथक से प्रतिकर स्वरूप दिलाई जाती है। इस प्रकार के मामले में अन्य कोई राशि दिलाए जाने का आदेश नहीं है।
41. यद्यपि इस मामले में मृतक राहुल के पिता आवेदक क्रमांक 2 रमेश बाबू को आश्रित होना मान्य नहीं किया गया है। परंतु यह निश्चित है कि वृद्धावस्था की ओर जाने पर पुत्र राहुल उसकी वृद्धावस्था का सहारा होता। उसने अपना पुत्र खोया है और पुत्र सुख से बंचित हुआ है। वह राहुल का वारिस भी है। ऐसी स्थिति में उसे भी कुछ क्षतिपूर्ति की राशि दिलायी जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आवेदक क्रमांक 03 हेमंत मृतक राहुल का बड़ा भाई है। वह वयस्क है अतः ऐसी स्थिति में उसे राहुल की आय पर आश्रित मान्य नहीं किया जा सकता है।
42. इस प्रकार क्लेम याचिका क्रमांक 11/15 में आवेदकगण अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है:

क्रमांक	मद	राशि
1.	आश्रितता की हानि	5,40,000/-
2.	अंतिम संस्कार का व्यय	15,000/-
कुल क्षतिपूर्ति राशि		5,55,000/-

वाद प्रश्न क्रमांक-05 सहायता एवं वाद व्यय:-

43. उपरोक्त विवेचना के आधार पर क्लेम याचिका क्रमांक 10/15 एवं 11/15 में आवेदकगण अपनी क्लेम याचिका आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं।

44. क्लेम याचिका क्रमांक 10/15 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये आवेदक लोकेन्द्र सिंह बरेठा के पक्ष में एवं अनावेदकगण के विरुद्ध निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है :-

1. अनावेदकगण, आवेदक विष्णूपाल को संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि **1,90,635/- (एक लाख नब्बे हजार छः सौ पैंतीस) रुपये** अधिनिर्णय दिनांक 24.03.2018 से दो माह की अवधि में अदा करें।
2. अनावेदकगण आवेदक को क्षतिपूर्ति की राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 23.03.2015 से सम्पूर्ण राशि की अदायगी तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज भी अदा करे।
3. क्षतिपूर्ति की राशि अदा करने का सर्वप्रथम दायित्व बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 03 का होगा।
4. क्षतिपूर्ति राशि **1,90,635/- (एक लाख नब्बे हजार छः सौ पैंतीस) रुपये** एवं उससे प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि आवेदक लोकेन्द्र को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान की जावे।
5. अनावेदकगण अपना स्वयं का तथा आवेदक का वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क 1000/-रु. निर्धारित किया जाता है। उक्तानुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

45. क्लेम याचिका क्रमांक 11/15 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये आवेदकगण श्रीमती रामसनेही एवं अन्य के पक्ष में एवं अनावेदकगण के विरुद्ध निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है :-

1. अनावेदकगण, आवेदकगण को संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि **5,55,000/- (पांच लाख पचपन हजार) रुपये** अधिनिर्णय दिनांक 24.03.2018 से दो माह की अवधि में अदा करें।
2. अनावेदकगण आवेदकगण को क्षतिपूर्ति की राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 23.03.2015 से सम्पूर्ण राशि की अदायगी तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज भी अदा करे।
3. क्षतिपूर्ति की राशि अदा करने का सर्वप्रथम दायित्व बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक

03 का होगा।

4. उक्त क्षतिपूर्ति की राशि 5,55,000/-(पांच लाख पचपन हजार) रुपये एवं उससे प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि में से आवेदिका क्रमांक 01 श्रीमती रामसनेही को 4,50,000/-रु. प्रदान किये जावे, जिसमें से 50,000/-रु. की राशि 6 माह के लिए, 50,000/-रु. की राशि एक वर्ष के लिए, 50,000/-रु. की राशि दो वर्ष के लिए, 50,000/-रु. की राशि चार वर्ष के लिए एवं 1,00,000/-रु. की राशि 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपोजिट की जावे तथा शेष राशि उसे बैंक के माध्यम से नगद प्रदान की जावे।

5. आवेदक क्रमांक 02 रमेश बाबू को शेष राशि प्रदान की जावे, जिसमें से 50,000/-50,000/-रुपये की राशि क्रमशः 3 वर्ष, 5 वर्ष एवं 7 वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपोजिट की जावे तथा शेष राशि उसे बैंक के माध्यम से नगद प्रदान की जावे।

6. अनावेदकगण अपना स्वयं का तथा आवेदकगण का वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क 2,000/-रु. निर्धारित किया जावे।
उपरोक्तानुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

अधिनिर्णय न्यायालय में दिनांकित एवं मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)